निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -154/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूड़की के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, द्वारा दिनांक 19.02.2018 से 27.02.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-**I**</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सराज हुसैन एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 17.08.2016 से 26.08.2016 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – वा णज्य कर रूड़की
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	303.03
2015-16	1951.83
2016-17	2477.43

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूड़की को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह - को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-01 अर्थदण्ड का अनारोपन ` 0.56 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी द्वारा युक्ति – युक्त कारण के बिना स्वीकृत कर के विलम्बित जमा पर देय कर का न्यूनतम 10% अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –II वाणिज्य कर, रूडकी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि तीन व्योहारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 5,61,615/- को युक्त कारण के बिना विलंब से जमा किया गया था।

(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की धनराशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार न्यूनतम `56161/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा क्र.स. 1 के सन्दर्भ में बताया गया कि व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर से साथ ब्याज एवं विलंब शुल्क जमा किया गया जिस के कारण अर्थदण्ड की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया तथा चालान में भी केवल स्वीकृत कर ही जमा दर्शाया गया है।

क्रमांक संख्या 2 एवं 3 में जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र स.	व्यापारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की दिनाक तिथि	कर की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	सर्वश्री वर्चयूवल इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी, रूड़की टिन:05007701534	2011-12	04/2011	26.05.2011	12414	1241.4
			04/2011	26.05.2011	10460	1046.0
			05/2011	15.07.2011	55174	5517.4
			05/2011	15.07.2011	11994	1199.4
			08/2011	03.10.2011	40507	4050.7
			08/2011	02.11.2011	922	92.2
			09/2011	12.11.2011	69681	6968.1
			11/2011	25.01.2012	38714	3871.4
			01/2012	02.03.2012	16240	1624.0
			02/2012	31.03.2012	24940	2494.0
			03/2012	23.05.2012	147984	14798.4
2.	सर्वश्री एन.एस. ट्रेडर्स, रूडकी टिन:05004062094	2013-14	1st Qtr (April-June)	30.09.2013	4627	462.7
			2nd Qtr (July-September)	12.11.2013	4270	427.0
			3rd Qtr (October-December)	29.01.2013	1410	141.0
3	सर्वश्री मल्होत्रा बैग हाउस, रूडकी टिन:05004047641	2013-14	1st Qtr (April-June)	07.08.2013	23566	2356.6
			2nd Qtr (July-September)	02.11.2013	53106	5310.6
			4th Qtr (January-March)	01.05.2014	45606	4560.6
Total					561615	56161.5

भाग 2(ख)

प्रस्तर स: 2 – आई. टी. सी. रिवर्स न किया जाना `0.57 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनयम 2005 की धारा-4(2)(ख)(आ) के अनुसार अनुसुची-II(ख) में विनिर्दिर्षित वस्तु के सम्बन्ध में करदेयता 5 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क नि)-II वाणिज्य कर रूडकी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्योव्हारी सर्वश्री सिद्धि विनायक प्लास्टिक रूडकी कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा संगत वर्ष में `6,76,455/- की पेट प्रिफोम का क्रय 13.5 प्रतिशत की दर से करते हुए `91,323/- के ITC का दावा किया गया। क्योंकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसुची II-B से आछादित है तथा व्यापारी द्वारा उक्त वस्तु पर शेष ITC का दावा 5 प्रतिशत की दर से ही किया गया था। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया। इस प्रकार अन्तरीय कर दर 8.5 प्रतिशत (13.5-5) से `57499 (`676455*8.5 प्रतिशत) का ITC रिवर्स योग्य था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जांचोपरांत ITC रिवर्स कर दी जाएगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
CT-14/2016-17	-	01,02,03

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती दिपा संह	(सहायक आयुक्त)
(ii)	श्री वी0पी0 यादव	(वा0क0अ0)
(iii)	श्रीमति सीमा मत्तल	(वा0क0अ0)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र